न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA060 Haruram Vs Khinvram etc

हरूराम पुत्र नाराराम विश्नोई
निवासी ग्राम मोरिया, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब ना म

1. खींवराज पुत्र नरसिंगदास सेवक
   निवासी फलोदी, तहसील फलोदी,
   जिला जोधपुर
2. राधाकिशन पुत्र दलीचन्द सोनी
   निवासी फलोदी, तहसील फलोदी,
   जिला जोधपुर
3. माणकराम पुत्र चौथाराम विश्नोई
   निवासी ग्राम मोरिया, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
4. गोपूराम पुत्र चौथाराम विश्नोई
   निवासी ग्राम मोरिया, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
5. भागीरथ पुत्र चौथाराम विश्नोई
   निवासी ग्राम मोरिया, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर
7. हरदासराम पुत्र पन्नाराम विश्नोई
   निवासी मोरिया, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी (राजस्व लोक अदालत कैम्प मोरिया) दिनांक 07 मई 2018 राजस्व वाद संख्या 224/2012 राधाकिशन बनाम हरूराम आदि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित- श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री गिरधरसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7
रेस्पो. संख्या 1 तथा 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 29 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी (राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र मोरिया) द्वारा राजस्व वाद संख्या 224/2012 राधाकिशन बनाम हरूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 जून 2018 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने ग्राम मोरिया के खसरा संख्या 290/5 रकबा 10 बीघा भूमि के संबंध में माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया, जो दिनांक 30 जुलाई 2010 को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की गयी। उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 224/2012 दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी। उक्त कार्यवाही के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या दो द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश एक नियम 10 सीपीसी पेश कर वादग्रस्त आराजी रेस्पो. संख्या एक से स्वयं द्वारा क्रय कर लिया जाना जाहिर करते हुए स्वयं को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संशोधिक वादशीर्षक प्रस्तुत किये जाने हेतु लम्बित चलने दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 मई 2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र मोरिया में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये, जिनके खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संशोधित वादशीर्षक प्रस्तुत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा था। इसी दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनिांक 07 मई 2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र मोरिया में पारित कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि पूर्व में अदालत हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर यह निर्देश दिया गया था कि वादग्रस्त आराजी के समस्त खातेदारान को नोटिस जारी कर जबाबदावा प्राप्त किये जावे और विधिवत तनकियात कायम की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्णय के अनुसरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट व उसके भाई चौथाराम की पुश्तैनी सम्पत्ति थी, मूल खसरा संख्या 290 का कुल रकबा 194 बीघा 07 बिस्वा था, रेस्पो. संख्या एक-वादी द्वारा विधि-विरूद्ध तरीके से 10 बीघा भूमि का बेचाननामा अडौस-पडौस दर्शा कर संयुक्त खातेदारी की भूमि में से निष्पादित करवा दिया, उक्त बेचाननामा विधि अनुसार शून्य बेचाननामा था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई विधिक तनकी कायम किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। इसके अलावा दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिये जाने से "लिस पेण्डेसी" का सिद्धान्त भी मामले में लागू होता है, इस परिप्रेक्ष्य में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने के करीब तीन माह पूर्व ही प्रतिवादी संख्या दो चौथाराम का देहान्त हो गया था, जिसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो मृतक व्यक्ति के खिलाफ होने से अपने आप में शून्य है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी उभयपक्षकारान की आपसी रजामन्दी के बिना, उन्हें सूचित किये बिना ही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र मोरिया में मुकर्रर कर पारित कर दिये गये, जो विधिसम्मतः नहीं है। इतना ही नही, अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने के पूर्व न तो जबाबदावा लिया गया, न तनकियात कायम की गयी और न ही पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण में सभी पक्षकारान को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। रेस्पो. संख्या दो सद्भावी केता है, जिसने मूल्यवान प्रतिफल देकर वादग्रस्त आराजी के भूभाग विशेष को कय किया है। अधीनस्थ न्यायालय एवं अदालत हाजा के समक्ष अपीलाण्ट्स ने सही तथ्यों को प्रस्तुत ही नहीं किया है। वस्तुस्थिति यह है कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में चौथाराम, पनाराम व हरुराम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियॉ थी, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बांसवाड़ा

इनके मध्य भूमिधारक तहसीलदार की सहमति से 06 अगस्त 1989 को आपसी सहमति बंटवारा हुआ जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजियात में ½ हिस्सा पनाराम पुत्र हमीराराम विश्नोई का आपसी सहमति बंटवारा के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार, ¼ हिस्सा चौथाराम पुत्र नाराराम कौम विश्नोई तथा ¼ हिस्सा हरुराम पुत्र नाराराम कौम विश्नोई के हिस्से में उक्त आपसी सहमति बंटवारा के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार आया और तब से पक्षकारान भौतिक रूप से उसी अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। इनमें से वादी-रेस्पो. खींवराज ने हरुराम से खसरा संख्या 290/1 में से 10 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख कय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हुआ। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में हरुराम में पंजीबद्ध विकय विलेख पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार भी किया है।

कालान्तर में रेस्पो. संख्या दो ने वादी-रेस्पो. खींवराज से उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 20 मई 2009 को मूल्यवान प्रतिफल चुका कर कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम भी दर्ज किया जा चुका है।

अधिवक्ता रेस्पो. ने अंत में निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर धारित किया गया है कि जहॉ मामले में पत्रावली पर समूचित साक्ष्य उपलब्ध हो, वहॉ मामला अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने की बजाय अपीलीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिये। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एक नियमित वाद की कार्यवाही करने के लिए विधिक प्रकियाओं की समुचित पालना नहीं की गयी है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। मगर साथ ही समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारित मत के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता रेस्पो. के इस तर्क से भी अदालत हाजा सहमत है कि जहॉ मामले में अपीलीय न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य उपलब्ध हो, वहॉ प्रकरण रिमाण्ड किये जाने की बजाय गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। आलौच्य मामले में पक्षकारान के मध्य दावे एवं जबाब के आधार पर तनकियात कायम की जाकर मामले में निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 जुलाई 2010 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये जिसकें स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर दी गयी थी और इसी कारण अदालत के समक्ष प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये गये थे कि पहले बंटवारे के दावे का निर्णय कर प्राथमिक डिकी जारी की जावे और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पक्षकारान के मध्य बंटवारे की कार्यवाही कर फाइलन डिकी जारी की जावे। उक्त निर्णय के लिए पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, उक्त निर्णय से पूर्व पक्षकारान के मध्य हुआ बंटवारा, बंटवारे के बाद हरूराम द्वारा खींवराज के पक्ष में किया गया बेचान व बाद में खींवराज द्वारा वर्तमान रेस्पो. संख्या राधाकिशन के पक्ष में किया गया बेचान और अन्य मौखिक साक्ष्य आदि रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है।

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो ने एक आपसी सहमति से किये गये बंटवारा का प्रपत्र पेश किया, जिसका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात चौथाराम, पनाराम व हरूराम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियॉ थी, जिसका इनके मध्य संबंधित तहसीलदार द्वारा 06 अगस्त 1989 को आपसी सहमति से बंटवारा किया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजियात **में ½ हिस्सा पनाराम पुत्र हमीराराम विश्नोई का आपसी सहमति बंटवारा के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार, ¼ हिस्सा चौथाराम पुत्र नाराराम कौम विश्नोई तथा ¼ हिस्सा हरूराम पुत्र नाराराम कौम विश्नोई के हिस्से में उक्त आपसी सहमति से बंटवारा के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार आया और तब से पक्षकारान भौतिक रूप से उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है।** इनमें से वादी-रेस्पो. खींवराज ने हरूराम से खसरा संख्या 290/1 में से 10 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 03 जुलाई 1996 कय कर कब्जा प्राप्त किया, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हुआ। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में हरूराम ने पंजीबद्ध विकय विलेख पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार भी किया है। चूंकि उक्त बेचान के पूर्व पक्षकारान में आपसी सहमति से विधिसम्मतः बंटवारा हो चुका था और उक्त आपसी सहमति से बंटवारा तहसीलदार द्वारा किया गया था और **उसे आदिनांक तक कोई चुनौती किसी सक्षम न्यायालय में नहीं दी गयी, अतः उक्त बंटवारा आदिनांक तक वैध और**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अस्तित्व में है। उक्त आपसी सहमति बंटवारे के बाद हरूराम, पनाराम तथा चौथाराम प्रत्येक के हिस्से में आयी भूमि अलग-अलग व्यक्तिगत हो चुकी थी और सहखातेदारी की भूमि नहीं रही थी। साथ ही प्रत्येक के बंट की भूमि आपसी सहमति बंटवारानामा के संलग्न नजरी नक्शें के अनुसार सडक से जुडी हुई है। हरूराम के हिस्से में दोनों सहखातेदारों के मध्य की भूमि आई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पंजीबद्ध विकय विलेख की प्रति, जो रेस्पो. संख्या दो द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, दिनांक 20 फरवरी 2009 के अनुसार में रेस्पो. संख्या दो ने वादी-रेस्पो. खींवराज से उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 20 मई 2009 को मूल्यवान प्रतिफल चुका कर कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम भी दर्ज किया जा चुका है।

इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में तहसीलदार के द्वारा खातेदारा की आपसी सहमति से **बंटवारा हो चुका था**, इस कारण दिनांक 3 मई 1996 को अपीलाण्ट हरूराम द्वारा रेस्पो. संख्या एक खींवराज के पक्ष में किया गया बेचान संयुक्त खातेदारी की भूमि में से नहीं था, और उक्त आपसी सहमति से **बंटवारे को आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी है, इसलिए उक्त बंटवारे के बाद उसी आराजियात का उन्ही पक्षकारान के मध्य पुनः किसी बंटवारे की आवश्यकता भी नहीं रहती है।** ऐसी स्थिति में दिनांक 20 फरवरी 2009 को रेस्पो. संख्या एक खींवराज द्वारा रेस्पो. संख्या दो राधाकिशन पुत्र नरसिंगदास के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख किये गये बेचान के

दलीचंद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाद मात्र केतागण के पक्ष में **राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद और राजस्व नक्शें में तरमीम की आवश्यकता रहती है,** किसी प्रकार के माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर आलौच्य अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 मई 2018 संशोधित करते हुए सर्वप्रथम तीनों मूल खातेदारों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 04 सितम्बर 1989 को किये गये बंटवारे और उसके संलग्न नक्शा के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) फलोदी द्वारा पटवारी मोरिया को प्रदत्त आदेश कमांक भू.अ./89/1061 दिनांक 04 सितम्बर 1989 के अनुसार तरमीम करे एवं तत्पश्चात हरुराम के हिस्से की भूमि में से विकय विलेख के आधार पर केता रेस्पो. सख्या दो द्वारा खरीद की गयी भूमि खसरा सख्या 290/5 रकबा 10 बीघा बाबत राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने के निर्देश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
हरुराम पुत्र श्री नाराराम विश्नोई निवासी ग्राम मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर	**ब ना म**	1.खींवराज पुत्र श्री नरसिंगदास सेवक निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2.राधाकिशन पुत्र श्री दलीचन्द सोनी निवासी फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर 3.माणकराम पुत्र श्री चौथाराम विश्नोई निवासी ग्राम मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर 4.गोपूराम पुत्र श्री चौथाराम विश्नोई निवासी ग्राम मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर 5.भागीरथ पुत्र चौथाराम विश्नोई निवासी ग्राम मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर 6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर 7.हरदासराम पुत्र पन्नाराम विश्नोई निवासी मोरिया तहसील लोहावट जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम.1955 *निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी(राजस्व लोक अदालत कैम्प मोरिया) दिनांक 07 माई 2018 राजस्व वाद संख्या 224/2012 राधाकिशन बनाम हरुराम आदि*

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 29 नवम्बर 2019 रूबरू बहाजरी श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिब अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता गिरधरसिंह एवं रोशनलाल विश्नोई संख्या 7,श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 मिनजानिब रेस्पोडेण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है साथ ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 माई 2018 संशोधित करते हुए सर्वप्रथम तीनों मूल खातेदारों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 04 सितम्बर 1989 को किये गये बंटवारे ओर उसके संलग्न नक्शा के आधार पर तहसीलदार भू.अ. फलोदी द्वारा पटवारी मोरिया को प्रदत्त आदेश कमांक भू.अ./89/1061 दिनांक 04 सितम्बर 1989 के अनुसार तरमीम करे एवं तत्पश्चात हरुराम के हिस्से की भूमि में से विकय विलेख के आधार पर केता रेस्पो.संख्या दो द्वारा खरीद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गयी भूमि खसरा संख्या 290/5 रकबा 10 बीघा बाबत राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने के निर्देश दिये जाते है।खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----/----) रूपये ----------/-- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----/---- अदा करें।

बसव्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 29 नवम्बर 2019 को जारी किया गया।

21/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

21/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर